

राजस्थान ट्युरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (राजस्थान सरकार का उपक्रम) होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ (अलवर)



Ph. No. 9413351237, Email-lakepalace.rtdc@rajasthan.gov.in

No.:-LPS/2023-24/28

Date:- 15-05-2023

-ः निविदा सुचनाः-

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि0. की तीनों ईकाईयों में वित्तिय वर्ष 2023—24 की अवधि के लिये अकुशल/अर्दकुशल/कुशल मेन पावर सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र होटल लेक पैलेस सिलिसेंढ से कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in एवम् www.sppp.rajasthan.gov.in पद देखी जा समती है एवं वांछित निविदा शुल्क जमा कराते हुए प्राप्त की जा सकती है।

UBN No. TDC2324SLOB00017

ईकाई प्रभारी होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ (अलवर)

Date: - 15-05-2023

No.LPS/2023-24/

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।
- 2. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।
- 3. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय (वित्त), आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।
- 4. ईकाई प्रभारी होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़, टाईगर डेन सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अपने नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा की सूचना चस्पा करावें।

संपादक.....

ईकाई प्रभारी होटल लेक पेलैस सिलिसेढ़



राजस्थान ट्युरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (राजस्थान सरकार का उपक्रम) होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ (अलवर)



Ph. No. 9413351237, Email-lakepalace.rtdc@rajasthan.gov.in

No.:-LPS/2023-24/29

Date:- 15-05-2023

-: निविदा सुचना :-

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि0. की तीनों ईकाईयों में वित्तिय वर्ष 2023—24 की अवधि के लिये उच्चकुशल/अकुशल/अर्दकुशल/कुशल मेन पावर सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ से कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in एवम् www.sppp.rajasthan.gov.in पद देखी जा समती है एवं वांछित निविदा शल्क जमा कराते हुए प्राप्त की जा सकती है।

क्र.स.	होटल का	-00			रिति हुए प्राप्त व	Talanti Talanti Inggaran Perungkan P	139.114
ял. (1.	राटल का	निविदा	अमानत	निविदा	निविदा विक्रय	निविदा	निविदा
	नाम	राशि (लाखों	राशि	शुल्क	दिनाकं व	प्राप्ति की	खोलने की
		में)		3.1	समय	तिथि	तिथि एवं
							समय
1.	सिलिसेढ़	5.45	11000	500	23.05.2023	23.05.2023	24.05.2023
2.	सरिस्का	6.80	14000	500	को दोपहर 3.	को सांय	को दोपहर
3.	शाहपुरा	2.11	4000	500	00 बजे तक	5.00 बजे	3.00 बजे
						तक	तक

धरोहर राशि बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट आर. टी. डी. सी. होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ / होटल टाईगर डेन सिरिस्का के नाम जमा करानी होगी। धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। किसी भी निविदा को पुर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का पुर्ण अधिकार ईकाई द्वारा गठित कमेटी में निहित होगा।

ईकाई प्रभारी होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़ (अलवर)

Date:- 15-05-2023

No.LPS/2023-24/

प्रतिलिपि:-

- 1. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।
- 2. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।
- 3. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय (वित्त), आर.टी.डी.सी. लि. जयपुर।

4. ईकाई प्रभारी होटल लेक पैलेस सिलिसेढ़, टाईगर डेन सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अपने नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा की सूचना चस्पा करावें।

संपादक......।

ईकोई प्रभारी होटल लेक पेलैस सिलिसेढ

- 07. प्रस्तावित दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगीं। जिसे आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
- 08. गैर सरकारी संस्था / एजेन्सी का नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा भरते समय एजेन्सी रिजस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 09. गैर सरकारी संस्था / एजेन्सी के द्वारा ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालना की जावेगी।
- 10. कार्यादेश के पश्चात एजेन्सी/संस्था द्वारा कार्मिकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों की पहचान एवं पता से संबंधित जानकारी की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी एवं इसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी।
- 11. एजेन्सी / संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कार्य व्यवहार / आचरण से यदि विभाग को कोई हानि या नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी / संस्था को करनी होगी। कोई भी कार्मिक शराब आदि किसी भी प्रकार के नशे का आदि नहीं होना चाहिए।
- 12. RTDC Hotel Lake Palace, Siliserh/ Hotel Tiger Den, Sariska/IMFL Shop Midway Shahpura द्वारा एजेन्सी के कार्मिकों की योग्यता का परीक्षण किया जावेगां। यदि एजेन्सी योग्य कार्मिकों को लगाने में असमर्थ रहती है तो कार्यालय स्तर से जो वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी, उसका भुगतान संस्था/एजेन्सी को करना होगा।
- 13. आयकर एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित अन्य करों की कटौती इस कार्यालय द्वारा भुगतान करते समय ही कर ली जावेगी।
- 14. निविदादाता के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा निविदा की शर्ते भली भांति समझ ली है यदि कोई संदेह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर दूर कर लेवे।
- 15. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके भाग को अन्य किसी एजेन्सी को नही सौंपेगा।
- 16. निविदा में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की काट छांट न की जावे। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
- 17. निविदादाता निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करे।
- 18. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत राशि धरोहर प्रतिभूति के रूप में दर स्वीकृति के 7 दिवस में सम्बन्धित इकाई में जमा करानी होगी। इस राशि पर इकाई द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- 19. निविदा को स्वीकार करने में यह आवश्यक नहीं कि यह न्यूनतम हो। उपापन समिति के पास निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- 20. निविदा की शर्तों का पालन न करने पर अनुबंध तुरन्त समाप्त कर दिया जावेगा तथा भविष्य में आंमत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जावेगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं एजेन्सी/संस्था का होगा।
- 21. संविदा के संबंध में उत्पन्न हुए सभी विवादों / मतभेदों के निर्णय का अधिकार प्रबन्ध निदेशक राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, जयपुर के पास सुरक्षित होगा। जिनका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
- 22. एजेन्सी / संस्था कार्मिकों को विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हटा सकेगी । इस हेतु एजेन्सी को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा परन्तु एजेन्सी / संस्था के कार्मिक द्वारा कार्य नहीं करने पर विभाग तुरन्त हटाने हेतु सक्षम होगा।
- 23. कार्मिक उपलब्ध कराने वाली फर्म/संस्था के पास गृह विभाग राजस्थान सरकार से कार्मिक उपलब्ध कराने का लाईसेंस होना चाहियें।
- 24. RTDC Hotel Lake Palace, Siliserh/ Hotel Tiger Den, Sariska/IMFL Shop Midway Shahpura द्वारा नियमानुसार सेवाकर का भुगतान संस्था / एजेन्सी को किया जायेगा तथा अगले माह के बिल के साथ सेवाकर जमा कराने का चालान प्रस्तुत करना होगा।
- 25. संस्था / एजेन्सी को भुगतान RTDC Hotel Lake Palace, Siliserh/ Hotel Tiger Den, Sariska/IMFL Shop Midway Shahpura द्वारा जिरये चैक द्वारा किया जावेगा। तथा संस्था / एजेन्सी द्वारा भी पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक कार्मिक को बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा।
- 26. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं RTPP एक्ट 2012 व नियम 2013 तथा वित्त विभाग के परिपन्न दिनांक 30.04.2018 के अनुसार लागू होगी।
- 27. बोलीदाताओं की दरें समान पायी जाने पर अधिकतम टर्नओवर व अधिकतम अनुभव वाली फर्म की दरें स्वीकार करने में वरीयता दी जावेगी।

नोट — निविदाएं नियत तिथि 23.05.23 को दोपहर 3.00 बजे तक होटल लेक पैलेस सिलिसेढ में प्राप्त की जा सकेगी व 23.05.2023 को साय 5.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी, दिनांक 24.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे होटल लेक पैलेस, सीलिसेढ में खोली जायेगी।

(होटल लेक पैलेस)

सिलीसेढ

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर नाम व पता, मोबाईल नं.

निविदा एवं संविदा की शर्ते (ब)

RTDC Hotel Lake Palace, Siliserh/ Hotel Tiger Den, Sariska/IMFL Shop Midway Shahpura

राजस्थान सरकार वित्त (जी एस टी) विभाग के परिपत्र में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिशा—िनर्देश निम्न प्रकार है :—

बोलीदाता / निविदादाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

क्र. 	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण	संलग्नक
स.				दिनांक	क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक				
	(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	-1			
	-				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,		= 1/2		
	1948				
				T_ = T	
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				1
	7				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक		Ç.		
	संस्थान अधिनियम 1958				
	या				
	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत		G		
	या				
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		0.		,



('एच' शिड्यूल (वित्तीय बिड) कें स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की

अनुपालना का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।

- 2) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- 3) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
- 4) निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने

का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।

- 6) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संसी। द्वारा निविदादाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा
- 7) निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपन समस्त श्रमिकों का निमयमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा आपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर निविदादाता के आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 8) निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helping नम्बर एवं निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- 9) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।
- 10) निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा क्र (GST) की

राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति मे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

- 11)श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिससूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो / दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदार्यी होगा।
- 12) यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी,

मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

14) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षितिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- 15) यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- 16) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, उसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूम में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगमान निविदादाता को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिकों को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।
- 17) समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तो के साथ—साथ उक्तानुसार शर्तो को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करे तािक श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (3) से (20) का समावेश सफल बोलीदाता/निविदादाता से किये जाने वाले अनुबंध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इससे किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

इकाइ प्रभारा (होटल लेक पैलेस) सिलीसेढ

हस्ताक्षर निविदादाता निविदा एवं संविदा की शर्ते (स)

ELIGIBILITY CRITERIA OF BIDDERS :-**Eligibility Criteria Documents Required to Substantiate the Same** No. The bidder firm should be in existence at leastfor last five years 1. Registration certification of the firm/ Partnership deed/ excluding the current financial year (on or before 01.04.2017) & Certificate of incorporation, etc. should be in business of providing supply of Manpower services. b) Articles of Association & Memorandum of Association (if applicable) c) Income Tax Registration (PAN) d) GST Registration 2. The bidder should be a company registered under companies Act, Registration certification of the Company/ 1956 or a partnership firm registered under Indian Partnership firm/Partnership deed etc. Act, 1932 or a Proprietorship firm registered under the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958/Amended or a similar Act of any other State/Union. Joint ventures or Consortiums are NOT allowed to bid or meet the Self-declaration on letter head signed by Authorized eligibility criterion. Signatory of the bidder company / firm Bidder should neither be a black listed firm nor should its Self-declaration on letter head signed by Authorized contracts have been terminated/foreclosed by any company / Signatory of the bidder company / firm department during last 3 financial years ending 31.03.2021 and during current financial year till date of bid submission due to nonfulfillment of Contractual obligations. The bidder should have the following registrations: 5. Self attested copy of the each document/certificate for (a) to (e), in the name of Bidder Firm a) Registration certificate and License Number under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 b) Under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. c) Under Employees' State Insurance Act, 1948. d) Registration under GST e) PAN Number Certificate(s)/ document(s) of satisfactory completion of Bidder should have the following experience of man-power supply the work(s) issued by the authorised signatory of the (i.e., the bidder firm should have the experience of providing manpower to the organization who has placed the work order) of client clearly mentioning: providing similar skilled manpower services in any Government / 1. Period of the work Semi-Government / Corporation / Board / Authority during last 2. Number of manpower supplied five financial year (2016-17 to 2020-21): 3. Amount paid for the work, and a) At least one work for outsourcing of minimum 40 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year 4. Satisfactory completion of the work with annual contract amount ≥Rs. 50 lakh (excluding service tax/GST), or b) At least two works for outsourcing of minimum 25 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year with annual contract amount≥Rs. 30 lakh (excluding service tax/GST), or c) At least three works for outsourcing of minimum 20 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year with annual contract amount ≥Rs. 20 lakh (excluding GST) Audited Profit and Loss A/c, The firm's annual average turnover should not be lessthan Rs. 50 7. OR lakhs per year in any threefinancial years (i.e. 2016-17 to 2020-21). Income Tax Returns (ITR) clearly showing the amount of turnover, OR Certificate from a Chartered Accountant certifying the turnover.

Note :- All requisite documents submitted for eligibility criteria must be clearly legible and must clearly mention the information required.

TECHNICAL CAPACITY OF BIDDER EXPERIENCE OF PROVIDING MANPOWER SERVICES

Sr. No.	Name of Client	Name of Work and Date of Completion	Work order No. and date	Total volume of Entire Work (Rs)	Value of work completed in relevant years (year- wise) Rs.	Number of staff deployed per month	Remarks
1.		13	2	4	Wise) Its	×	
2.							
3.	3						
4.			7				-
5.			S .				

Date:	Signature
Place	Name
	Seal of Authorized Signatory

Note: Attach Documents as per Bid documents.

BIDDER'S PROFILE AND DOCUMENTS TO SUBSTANTIATE ELIGIBILITY OF THE BIDDER

Sr. No.	Technical Qualifications	Required Information / Certificate /	Remark
1.	Name of the Work	License	(Yes/No)
2.	Name of Firm		
3.	Date when incorporated /		
3.	registered		
	Profile of the Firm (Proprietor /		
4.	Partnership / Private Limited /		
	Public limited		
5.	Register Office Address		
6.	Functional/ Branch Office in Rajasthan (Address or Undertaking)		
7.	Name of Authorized Signatory		
8.	Mobile Number:		
9.	PAN Number	Attach self attested copy	
10.	GST Registration Certificate	Attach self attested copy	
11.	Registration of company / partnership firm / proprietorship firm	Attach self attested copy	2
12.	Registration Certificate under ESI Act, 1948	Attach self attested copy	
13.	Registration Certificate under EPF Act, 1952	Attach self attested copy	2
14.	License under Rajasthan Shops and Establishment Act	Attach self attested copy	
15.	Registration Certificate and license no. under Contract labor (Regulation and Abolition) Act	Attach self attested copy	,
16.	Experience of Providing Manpower Services	Attach self attested copy	
17.	Annual Financial Turnover of last 3 years	Attach self attested copy	
18.	Audited balance Sheet of last three financial year	Attach self attested copy	
19.	Bidder should not be Joint venture / consortium	A self declaration on the letter head of company/firm	
20.	Earnest Money / Bid Security	As Per Rules.	
21.	Submission of Bidding Document Fee		1 8

Date:

Place

Signature

Name

Seal of Authorized Signatory

होटल लेक पैलेस सिलिसेढ, अलवर 'एच' शिड्यूल

(वित्तीय बिड)

क. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF प्रतिशत 13 प्रति0	ESI प्रतिशत 3.25 प्रति.	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुशल श्रमिक	1	7358/-					
	अकुशल श्रमिक	7	6734/-					
					100			

1	1	t	0	
	а	L	C	

Place

हस्ताक्षर

निविदादाता

आई. एम. एफ. एल. शॉप मिडवे शाहपुरा

'एच' शिड्यूल (वित्तीय बिड)

क्र. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF प्रतिशत 13 प्रति0	ESI प्रतिशत 3.25 प्रति.	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उच्च कुशत श्रमिक	1	8658/-		200			
	अकुशल श्रमिक	2	6734/-					

Date:

हस्ताक्षर

Place

निविदादाता

होटल टाईगर डेन, सरिस्का

'एच' शिड्यूल (वित्तीय बिड)

ਸ. H.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF प्रतिशत 13 प्रति0	ESI प्रतिशत 3.25 प्रति.	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	कुशल श्रमिक	1	7358/-					
3	अकुशल श्रमिक	9	6734/-					

1	+	0	
	L	E	

Place

हस्ताक्षर

निविदादाता

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करते है कि इस हस निविदा
पत्र के भाग-अ के पृष्ठ संख्या
लिए है व समझ भी लिए जो मुझे / हमें पूर्ण रूप से मान्य है तथा कोई एतराज नही है। मेरे / हमारे
द्वारा दी गई जानकारी/विवरण/उल्लेख में से किसी के भी असत्य पाए जाने पर मेरी निविदा किसी
द्वीरों दो गई जानकारा/विवरण/उरलेख ने संग्यात्र भी समय रद्द करने तथा उससे होने वाली समस्त हानि की वसूली का अधिकार तथा मेरे विरूद्ध
कार्यवाही का अधिकार निगम को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

शपथ पत्र

(₹	100/-	के	नॉन	ज्युडिशियल	स्टॉप	पेपर	पर	जिस	पर	निविदादाता	के	हस्ताक्षर	ऑथ	कमिश्नर
				णेत होने आ										

并	(निविदादाता)	पुत्र	श्री	 जाति
निवासी			•••••	
शपथपर्वक यह सत्यापित करता है :				

- 01. यह कि मैं किसी भी न्यायालय से आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं हूँ।
- 02. यह है कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है।
- 03. यह है कि मुझे राज्य सरकार के किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग, किसी उपक्रम, राज. टयूरिज्म डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 एवं इससे सम्बन्ध ईकाईयों द्वारा किसी भी अनियमितता के कारण दण्डित अथवा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
- 04. यह है कि मैने / हमने निविदा की समस्त नियम व शर्तों को पढ़कर समझ ली है तथा मुझे / हमें समस्त शर्तें मान्य है तथा मैं / हम इन सभी नियम व शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत है। यदि निविदा अविध में किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो मेरी / हमारी निविदा निरस्त कर दी जावें।

(निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर)

(नोटेराइज्ड)

मूल शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अवश्य करें।